

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या की वित्त उप समिति की बैठक की कार्यवृत्त ।

बैठक की तिथि : 26-06-2020

स्थान : सभाकक्ष  
उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद,  
किसान मण्डी भवन ,अष्टम तल, विभूतिखण्ड,  
गोमतीनगर,  
लखनऊ ।

समय : पूर्वाह्न 11.30 बजे ।

उपस्थित :

- 1- डा० बिजेन्द्र सिंह , कुलपति - अध्यक्ष
- 2- श्री वी०एस०सिंह, विशेष सचिव ,कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव ,  
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग,उ०प्र०शासन । - सदस्य
- 3- श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा ,अपर निदेशक कोषागार, लखनऊ ,  
नामित सदस्य ,प्रमुख सचिव वित्त विभाग ,उ०प्र०शासन । - सदस्य
- 4- श्री नीरज श्रीवास्तव , वित्त नियंत्रक - सचिव

बैठक के प्रारम्भ में नवागत कुलपति डा० बिजेन्द्र सिंह, द्वारा वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों से परिचय हुआ एवं स्वागत किया गया । कुलपति/अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय को आई०सी०ए०आर० /राज्य सरकार /अन्य संस्थाओं से शोध हेतु प्राप्त परियोजनाओं एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न क्रिया कलापों के बारे में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया । कुलपति महोदय ने माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि कोरोना संक्रमण के कारण लाक डाउन मे भी विश्वविद्यालय की आवश्यक गतिविधियाँ यथा आनलाइन शिक्षण , शोध एवं प्रसार का कार्य निर्बाधरूप से संचालित कर छात्र छात्राओं ,कृषको एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगो तक जानकारी एवं सहयोग प्रदान किया गया । विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता /निदेशक /अन्य अधिकारी/कर्मचारी विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर प्रगति में कार्य करते रहे है । कुलपति महोदय ने शासन से प्रासंगिक व्ययो हेतु कम अनुदान प्राप्त होने तथा पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में कार्यरत कर्मिको के वेतन हेतु प्राप्त हो रहे कम अनुदान के संबंध में अवगत कराया तथा शासन के प्रतिनिधियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे अनुदान में वृद्धि किये जाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियों प्रदान की गयी :-

प्रस्ताव सं० 1 वित्त उप समिति की गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 28-06-2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव सं० 2 वित्त उप समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 28-06-2019 में लिये गये निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्यों द्वारा अवगत होने के उपरान्त सहमति व्यक्त की गयी ।

प्रस्ताव सं० 3 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के वित्तीय वर्ष 2019-20 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2020-21 अनुमानित आय व्ययक पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2019-20 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2020-21 अनुमानित आय व्ययक पर सम्यक विचारोपरान्त परिशिष्ट-क के अनुसार आय व्ययक के अनुमोदनार्थ सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी । प्रमुख सचिव वित्त के नामित सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि कोविड-19 के दृष्टिगत समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय जिस पर अन्य सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की ।

प्रस्ताव सं० 4 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शोध निदेशालय के अधीन संचालित मुख्य प्रयोग केन्द्र कुमारगंज, स्टेट नान प्लान में सृजित फार्म ओवरसियर पद को अवर अभियन्ता पद में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से शोध निदेशालय के अधीन संचालित मुख्य प्रयोग केन्द्र कुमारगंज, स्टेट नान प्लान में सृजित फार्म ओवरसियर पद का नाम अवर अभियन्ता पदनाम में परिवर्तित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 5 विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मिकों को कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मानदेय के आधार पर पुनः कार्य पर लगाये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव में उल्लिखित पदों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मिकों को कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत मानदेय के आधार पर पुनः कार्य पर लगाये जाने की संस्तुति इस आशय से प्रदान की गयी कि उनके मानदेय का निर्धारण शासनादेशानुसार उनको प्राप्त होने वाले अन्तिम माह के वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटाते हुए, प्राप्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाय । सेवानिवृत्त कर्मिकों को छः छः माह की अवधि के लिए लगाया जाय एवं अधिकतम सीमा 02 वर्ष से अधिक एवं आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । इसके साथ ही प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में दो सेवानिवृत्त कर्मिकों डा० मनोज सिंह, सेवानिवृत्त शोध सहायक तथा श्री नियाज खॉं, चालक को क्रमशः रू० 35000/- तथा रू० 18000/- प्रतिमाह के मानदेय पर कार्य पर लगाये जाने की कार्योत्तर संस्तुति की गयी ।



प्रस्ताव सं० 6

कृषि निदेशालय, उ०प०, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत "Strengthening of Seed Production Farms" परियोजना को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत Strengthening of Seed Production Farms" परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने को संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 7

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Production of elite germplasm Through Embryo Transfer technique in bovine" को इस विश्वविद्यालय में 1 वर्ष के लिए कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Production of elite germplasm Through Embryo Transfer technique in bovine" को इस विश्वविद्यालय में 1 वर्ष के लिए संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 8

अ-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, कैब-॥, पूसा नई दिल्ली -110012 द्वारा वित्त पोषित "Strengthening and Modernization of Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya to make the university ready for Accreditation" नामक योजना को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित करने के परिप्रेक्ष्य में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में क्रियान्वित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, कैब-॥, पूसा नई दिल्ली -110012 द्वारा वित्त पोषित "Strengthening and Modernization of Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya to make the university ready for Accreditation" नामक योजना को संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

ब- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, कैब-॥, पूसा नई दिल्ली -110012 द्वारा वित्त पोषित "Strengthening and Modernization of Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya to make the university ready for Accreditation" नामक परियोजना के परियोजना प्रभारी (PI) / नोडल आफिसर को पदेन, परियोजना से संबंधित आहरण एवं वितरण संबंधी सनस्त वित्तीय अधिकार दिये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, कैब-॥, पूसा नई दिल्ली -110012 द्वारा वित्त पोषित "Strengthening and Modernization of Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya to make the university ready for Accreditation" नामक परियोजना में आई०सी०ए०आर० द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में परियोजना से संबंधित आहरण



एवं वितरण संबंधी समस्त वित्तीय अधिकार , पदेन ,परियोजना प्रभारी (PI) /नोडल आफिसर को प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 9

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं० 81 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म- 796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना 02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना "Enhancement of livelihood of Tharu Community through Back Yard Poultry and Goat Husbandry" परियोजना 0205- कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनाए (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत मानक मद-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन को इस विश्वविद्यालय में 2 वर्ष के लिए कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं० 81 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म- 796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना 02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना "Enhancement of livelihood of Tharu Community through Back Yard Poultry and Goat Husbandry" परियोजना 0205- कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनाए (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत मानक मद-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन को इस विश्वविद्यालय में 2 वर्ष के लिए संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 10

भारत सरकार के वित्त पोषण से जनपद बहराइच में कृषि विज्ञान केन्द्र, नानपारा ,बहराइच के कार्यालय हेतु मकान किराया पर लिये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से जनपद बहराइच में कृषि विज्ञान केन्द्र, नानपारा ,बहराइच के कार्यालय हेतु भवन क किराया रू० 5500/-प्रतिमाह एवं बिजली बिल मीटर रीडिंग के अनुसार अलग से भुगतान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 11

भारत सरकार के वित्त पोषण से जनपद गोण्डा में कृषि विज्ञान केन्द्र, मनकापुर ,गोण्डा के कार्यालय हेतु मकान किराये पर लिये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से जनपद गोण्डा में कृषि विज्ञान केन्द्र, मनकापुर ,गोण्डा के कार्यालय हेतु भवन का किराया रू० 4048/-प्रतिमाह एवं बिजली बिल मीटर रीडिंग के अनुसार अलग से भुगतान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 12

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रसार निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर DAMU, CSISA, CRM परियोजना को संचालित किये जाने का अनुमोदन प्रदान करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रसार निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर क्रियान्वित DAMU, CSISA, CRM परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।



प्रस्ताव सं० 13 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रसार निदेशालय द्वारा संचालित 06 कृषि विज्ञान केन्द्रों (मऊ, वाराणसी, बलरामपुर, गोरखपुर, सोनभद्र एवं चन्दौली) पर सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रसार निदेशालय द्वारा संचालित 06 कृषि विज्ञान केन्द्रों (मऊ, वाराणसी, बलरामपुर, गोरखपुर, सोनभद्र एवं चन्दौली) पर सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं० 14 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ब्लाक-2,6-8 फ्लोर सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली -110003, भारत सरकार के पत्रांक सं० बी०टी०/ए०जी०/नेटवर्क/गेहूँ/2019-20 दिनांक 29/02/2020 के आदेश द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित " Germplasm characterization and trait discovery in Wheat using genomics approaches and its integration for improving climate Resilience, productivity and nutrition quality" परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं० 15 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों के संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को पूर्व में प्रदत्त वित्तीय अधिकारों में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार प्रस्ताव में उल्लिखित सीमा तक वित्तीय अधिकार संशोधित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी।

(नीरज श्रीवास्तव)  
वित्त नियंत्रक/सचिव  
वित्त उप समिति



(डा० बिजेन्द्र सिंह)  
कुलपति/अध्यक्ष  
वित्त उप समिति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या।  
पत्रांक एन०डी०यू०ए०टी०/8/वि०उ०स०/लेखा/2020/297 दिनांक 26-06-2020  
प्रतिलिपि - प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(नीरज श्रीवास्तव)  
वित्त नियंत्रक/सचिव  
वित्त उप समिति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या  
आय-व्ययक पुनरीक्षित वर्ष 2019-20 एवं अनुमान वर्ष 2020-21 (धनराशि रू0 लाख में)

क्रमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2019-20	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2020-21
1	2	3	4
1	राज्य सरकार राजस्व		
क	कृषि विश्वविद्यालय	6566.89	8649.13
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	1268.91	2182.72
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	243.01	454.50
घ	कृषि महाविद्यालय कैम्पस आजमगढ़	280.76	431.96
छ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रों हेतु)	2.00	2.00
ज	तकनीकी प्रशिक्षण	0.00	10.00
झ	नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	117.76	1307.40
ट	विभिन्न महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं, छात्रावासों, प्रक्षेत्रों, अनुपयुक्त भूमि का अनुरक्षण/ सुदृढीकरण, छात्रों द्वारा शोध कार्य एवं वर्षा जल संचयन हेतु	210.77	0.00
	योग (राज्य सरकार राजस्व)	8690.10	13037.71
2	राज्य सरकार राजस्व/पूँजीगत		
	राजस्व		
क	भारतीय कृषि अनु० परि० के सहयोग से संचालित परियोजनाओं हेतु 75:25प्रतिशत परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	250.62	393.72
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	792.42	662.23
ग	रावे पर व्यय( 25 प्रतिशत)	0.00	5.00
घ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में वी०वी०एस०सी०एण्ड ए०एच० पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु राज्यांश	0.00	1.50
च	कृषि विश्वविद्यालय में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स (धान पर अनुसंधान हेतु)	94.18	100.00

	कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया जाना	0.00	200.00
	राजस्व / पूँजीगत		
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	158.96	3093.43
	योग (राज्य सरकार राजस्व/पूँजीगत)	1296.18	4455.88
3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं		
क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	2307.46	3314.46
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	112.90	386.19
ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	0.00	100.00
घ	रावे पर व्यय ( 75 प्रतिशत)	0.00	20.00
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	0.00	50.00
	नाहेप योजना(NAHEP)	25.50	138.81
छ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु ( 75 प्रतिशत धनराशि)	751.87	1181.19
ज	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	22.83	1016.99
	योग	3220.56	6207.64
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाएँ	110.41	48.26
	योग	110.41	48.26
5	चकीय निधि	723.86	981.57
	योग	723.86	981.57
	सम्पूर्ण योग (1 से 5 तक )	14041.11	24731.06




आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या की वित्त उप समिति की बैठक की कार्यवृत्त ।

बैठक की तिथि : 12-10-2020

स्थान : सभाकक्ष  
उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद,  
किसान मण्डी भवन, अष्टम तल, विभूतिखण्ड,  
गोमतीनगर,  
लखनऊ ।

समय : पूर्वान्ह 11.30 बजे ।

उपस्थित :

- 1- डा० बिजेन्द्र सिंह , कुलपति - अध्यक्ष
- 2- श्री बृजराज सिंह यादव, विशेष सचिव , कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग , प्रतिनिधि प्रमुख सचिव - सदस्य  
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० शासन ।
- 3- श्री मदन राजा मौर्या , संयुक्त निदेशक कोषागार, लखनऊ , - सदस्य  
नामित सदस्य , प्रमुख सचिव वित्त विभाग , उ०प्र० शासन ।
- 4- श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव , क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ , - सदस्य  
नामित सदस्य , प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग , उ०प्र० शासन ।
- 4- श्री नीरज श्रीवास्तव , वित्त नियंत्रक - सचिव



बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी का वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों से परिचर हुआ एवं स्वागत किया गया । कुलपति/अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय को आई०सी०ए०आर० /राज्य सरकार /अन्य संस्थाओं से शोध हेतु प्राप्त परियोजनाओं एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न क्रिया कलापों के बारे में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियों प्रदान की गयी -

प्रस्ताव सं० 1 वित्त उप समिति की गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 26-06-2020 के कार्यवृत्त को पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव सं० 2 वित्त उप समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 26-06-2020 में लिये गये निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्यों द्वारा अवगत होने के उपरान्त सहमति व्यक्त की गयी ।



प्रस्तावसं० 3

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद श्रावस्ती में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्र जनपद श्रावस्ती में स्थापित किये जाने एवं स्वीकृत पदों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गाइड लाइन के अनुसार नियमित नियुक्ति किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्तावसं० 4

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वित्त पोषण से DAMU परियोजना फेज-द्वितीय को जनपद अम्बेडकरनगर, अमेठी, बस्ती, महाराजगंज एवं संतकबीरनगर में संचालित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित DAMU परियोजना फेज-द्वितीय को वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद अम्बेडकरनगर, अमेठी, बस्ती, महाराजगंज एवं संतकबीरनगर में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्तावसं० 5

विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त श्री वी०डी०सिंह, मीटर रीडर को 02 वर्ष से अधिक की अवधि एवं 65 वर्ष की आयु तक मानदेय के आधार पर कार्य पर लगाये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के भवनों के सिविल एवं विद्युत अनुरक्षण तथा जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति तथा आवासों के विद्युत मीटर रीडिंग के कार्य हेतु विश्वविद्यालय में स्थापित निर्माण निदेशालय में कुल 15 तकनीकी पद सृजित है जिसके सापेक्ष वर्तमान में 06 पद ही भरे हैं शेष 09 पद रिक्त हैं तथा 06 भरे पदों में से भी एक अवर अभियन्ता (सिविल) दिनांक 31-10-2020 को सेवानिवृत्त हो जायेगा। वर्तमान में विद्युत कार्य हेतु सृजित सहायक अभियन्ता (विद्युत), अवर अभियन्ता (विद्युत) एवं मीटर रीडर के पद रिक्त हैं जिससे विद्युत संबंधी कार्य/अनुरक्षण का कार्य कराने हेतु विश्वविद्यालय के पास कोई नियमित तकनीकी कर्मी उपलब्ध नहीं है। विश्वविद्यालय का विद्युत अनुरक्षण /विद्युत कार्य तथा आवासों के विद्युत मीटर रीडिंग का कार्य प्रभावित न हो, दृष्टिगत श्री वी०डी० सिंह जो मीटर रीडर के पद से दिनांक 30 नवम्बर 2016 को सेवानिवृत्त हुये हैं, की सेवायें उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त छः छः माह की अवधि के लिए अद्यतन ली जा रही हैं । चूंकि सृजित रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति उ०प्र० शासन से प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त कार्मिक के अतिरिक्त नये कार्मिक को कार्य पर लगाया जाना तब तक उचित नहीं है जब तक कि नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को मानदेय पर रखने पर उसका भुगतान विश्वविद्यालय अपने निजी श्रोतो से करता है । विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने हेतु वित्त उप समिति एवं प्रबन्ध परिषद सक्षम हैं । वित्त उप समिति एवं प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन के उपरान्त ऐसे प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान करती है । अतः विशेष परिस्थितियों में कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए श्री वी०डी०सिंह

सेवानिवृत्त मीटर रीडर की सेवायें छः छः माह की अवधि पर मानदेय के आधार पर 65 वर्ष की आयु तक कार्य पर लगाये जाने की संस्तुति वित्त उप समिति द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि भविष्य में इसे दृष्टान्त नहीं समझा जायेगा। श्री वी०डी०सिंह को भुगतान होने वाले मानदेय का व्यय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतों से प्राप्त आय से किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्तावसं० 6 उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के पत्रांक संख्या 272/सीएस/131(के)/2020-21 दिनांक 27-07-2020 द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ द्वारा स्वीकृत परियोजना जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट आफ कालानमक फार प्रोडक्टिविटी ट्रेटस, बायोटेक एण्ड एबायोटेक स्ट्रेस टॉलरेन्स एरोमा एण्ड न्यूट्रीशनल क्वालिटी योजना को इस विश्वविद्यालय में 3 वर्ष के लिए संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्तावसं० 7 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के स्वामित्व की जनपद सुल्तानपुर में खसरा संख्या 843 मि० कुल भूमि 12.7960 हेक्टेअर का अंश 0.41242 हेक्टेअर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-330ए(जगदीशपुर -अयोध्या खण्ड) परियोजना के निर्माण हेतु अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्त धनराशि रू० 17444575/- के संबंध में सूचनार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय के स्वामित्व की जनपद सुल्तानपुर में खसरा संख्या 843 मि० कुल भूमि 12.7960 हेक्टेअर का अंश 0.41242 हेक्टेअर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-330ए(जगदीशपुर -अयोध्या खण्ड) परियोजना के निर्माण हेतु अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्त धनराशि रू० 17444575/- के बारे में वित्त उप समिति को अवगत कराया गया तथा उक्त धनराशि को नया खाता खोलकर जमा किये जाने की सूचना से वित्त उप समिति अवगत हुयी। वित्त उप समिति द्वारा मुआवजे के रूप में प्राप्त धनराशि रू० 17444575/- का व्यय विश्वविद्यालय के अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यों हेतु वित्त उप समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन के उपरान्त ही किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्तावसं० 8 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना Establishment of Agriculture Technology Park "को इस विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत Establishment of Agriculture Technology Park परियोजना को एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी

- प्रस्तावसं० 9 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Strengthening of Krishi Vigyan Kendra "को इस विश्वविद्यालय में एक वर्ष के लिए कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत "Strengthening of Krishi Vigyan Kendra " परियोजना को एक वर्ष के लिए इस विश्वविद्यालय में संचालित किटे जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

- प्रस्तावसं० 10 विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु पूर्व में विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व का विज्ञापन निरस्त करते हुए पुनः विज्ञापन किए जाने हेतु प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचार एवं निर्णय ।


वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु पूर्व में विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व का विज्ञापन निरस्त करते हुए प्रस्ताव में उल्लिखित पदों को पुनः विज्ञापित किए जाने की संस्तुति प्रदान की गयी। वित्त उप समिति द्वारा पूर्व में विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन शुल्क को संबंधित आवेदक को वापस किये जाने की भी संस्तुति प्रदान की गयी ।

- प्रस्तावसं० 11 उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के पत्रांक संख्या 221/शोध निधि/परि./2020 दिनांक 01-07-2020 द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के द्वारा स्वीकृत वित्त पोषित " Genetic enhancement for terminal heat tolerance in bread wheat (*Triticum aestivum* L.) with conventional and molecular breeding approaches परियोजना को तीन वर्ष के लिए इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

- प्रस्तावसं० 12 कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश ( राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ ) कृषि भवन लखनऊ के पत्रांक संख्या RKVY/401/64-II/30<sup>th</sup> SLSC/2020-21 दिनांक 21 सितम्बर 2020 द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ ) कृषि भवन लखनऊ द्वारा वित्त पोषित " Collection ,identification and distribution of relatively high iron and zinc containing genotypes among farmers for fulfillment and nutritional requirement of rice eating poor consumers परियोजना को विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2020-21 में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।



प्रस्तावसं० 13 कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार द्वारा स्वीकृत Ergonomic Laboratory for Ergonomic Risk Analysis and reducing health hazard of farm Women परियोजना को विश्वविद्यालय में धन उपलब्ध होने के पश्चात कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार द्वारा स्वीकृत Ergonomic Laboratory for Ergonomic Risk Analysis and reducing health hazard of farm Women परियोजना को विश्वविद्यालय में इस आशय से संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी कि परियोजना का संचालन वित्त पोषित संस्था से अनुदान उपलब्ध होने के पश्चात किया जाय ।

प्रस्तावसं० 14 कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-न्तर्गत स्वीकृति 'Strengthening of Parasitological laboratory with advance diagnostic facilities for detection of parasitic diseases' परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।



वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-न्तर्गत स्वीकृत Strengthening of Parasitological laboratory with advance diagnostic facilities for detection of parasitic diseases " परियोजना को विश्वविद्यालय में इस आशय से संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी कि परियोजना का संचालन पोषित संस्था से अनुदान उपलब्ध होने के पश्चात किया जाय ।

प्रस्तावसं० 15 कृषि सांख्यिकी विभाग में दो कम्प्यूटर आउटलेटर रु० 8000/ प्रतिमाह मानदेय के आधार पर रखने हेतु विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा शासन के अद्यावधिक शासनादेशों का संज्ञान लेते हुए जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा तथा उ०प्र० श्रम विभाग के पारिश्रमिक दरों के अनुरूप भुगतान करने एवं पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में भुगतान का व्यय विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों से प्राप्त आय से किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी ।

प्रस्तावसं० 16 विश्वविद्यालय के अधीन राष्ट्रीय बीज परियोजना -षष्ठम (NSP-VI) की स्थापना की गयी है । प्रक्षेत्र में पशुओं के लिए चारा उत्पादन एवं चारा फसलों के बीज उत्पादन हेतु डा० हरनाम सिंह, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय को सेवानिवृत्ति उपरान्त मानदेय पर कार्य पर रखने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव ।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अधीन राष्ट्रीय बीज परियोजना -षष्ठम (NSP-VI) की स्थापना की गयी है जिसमें मुख्य रूप से पशुओं के लिए चारा उत्पादन एवं चारा फसलों के बीज उत्पादन किया जाना है तथा उक्त प्रक्षेत्र पर इन्टीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल तैयार किये जाने के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्य पालन आदि का संवर्धन किया जायेगा । उक्त कार्य हेतु डा०

हरनाम सिंह जो दिनांक 30 जून 2020 को सेवानिवृत्ति हो गये हैं, को सेवानिवृत्ति के उपरान्त विश्वविद्यालय नियमानुसार मानदेय पर कार्य पर रखा जाना है।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से डा० हरनाम सिंह, सेवानिवृत्त अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय को विश्वविद्यालय नियमानुसार मानदेय की सीमा के अन्तर्गत अन्तिम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि धटाते हुए प्राप्त धनराशि जो भी कम हो, के आधार पर कार्य पर लगाये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी। डा० सिंह को मानदेय के रूप में होने वाले भुगतान का व्यय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से ही किये जाने की भी संस्तुति की गयी।

प्रस्तावसं० 17

विश्वविद्यालय की अवशेष चाहरदीवारी के निर्माण का कार्य एवं उस पर ₹० 12.00 लाख के व्यय विश्वविद्यालय के अपने श्रोतो से किये जाने का प्रस्ताव।



वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय मुख्य परिसर की चाहरदीवारी में सं० 07 कि०मी० लम्बाई में चाहरदीवारी का निर्माण उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृत परियोजना आन्तरिक मार्ग, हाई मास्क इलेक्ट्रिक टायर एवं चाहरदीवारी का निर्माण के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 तक पूर्ण करा लिया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना स्टेन्थनिंग आफ सीड फार्म के अन्तर्गत 1045.80 मीटर चाहरदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है इसके उपरान्त भी लगभग 100 से 120 मीटर लम्बा भाग बच रहा है जिस पर भी चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है, अन्यथा पूर्व से निर्मित / निर्माणाधीन चाहरदीवारी का पूर्ण लाभ विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हो सकेगा। उर्पयुक्त के दृष्टिगत चूँकि उक्त अधूरे भाग 100 से 120 मीटर पर चाहरदीवारी का निर्माण किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है, के दृष्टिगत उक्त भाग पर चाहरदीवारी का निर्माण कराये जाने पर ₹० 12.00 लाख का व्यय होगा अवशेष चाहरदीवारी के निर्माण पर ₹० 12.00 लाख का व्यय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से वहन किया जायेगा।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की अवशेष चाहरदीवारी के निर्माण कराये जाने एवं विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से व्यय किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्तावसं० 18

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत **Development of suitable model to harvest the optimum potential of fish production in sodic soil of Uttar Pradesh** परियोजना को इस विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने पर विचार एवं लेर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत वित्त पोषित " **Development of suitable model to harvest the optimum potential of fish production in sodic soil of Uttar Pradesh**



परियोजना को तीन वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में इस आशय से संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी कि परियोजना का संचालन वित्त पोषित संस्था से अनुदान उपलब्ध होने के पश्चात किया जाय ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(नीरज श्रीवास्तव )  
वित्त नियंत्रक/सचिव  
वित्त उप समिति

(डा० बिजेन्द्र सिंह )  
कुलपति/ अध्यक्ष  
वित्त उप समिति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।  
पत्रांक एन०डी०यू०ए०टी०/८/वि०उ०स०/लेखा/२०२०/६४५ दिनांक १२-१०-२०२०  
प्रतिलिपि - प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(नीरज श्रीवास्तव  
वित्त नियंत्रक/ सचिव  
वित्त उप समिति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या की वित्त उप समिति की बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 05-02-2021

स्थान : सभाकक्ष  
उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद,  
किसान मण्डी भवन, अष्टम तल, विभूतिखण्ड,  
गोमतीनगर,  
लखनऊ।

समय : पूर्वान्ह 11.30 बजे।

उपस्थित :

- 1- डा० बिजेन्द्र सिंह, कुलपति - अध्यक्ष
- 2- श्री अनिल ढींगरा, विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० शासन। - सदस्य
- 3- श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ, नामित सदस्य, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन। - सदस्य
- 4- श्री गंगा सागर राय, सदस्य प्रबन्ध परिषद - सदस्य
- 5- श्री नीरज श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक - सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने माननीय सदस्यों का स्वागत किया। कुलपति/अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय को आई०सी०ए०आर० /राज्य सरकार /अन्य संस्थाओं से शोध हेतु प्राप्त परियोजनाओं एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न क्रिया कलापों के बारे में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया, तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियाँ प्रदान की गयी :-

प्रस्ताव सं० 1 वित्त उप समिति की गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

वित्त उप समिति की गत बैठक दिनांक 12-10-2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी

प्रस्ताव सं० 2 वित्त उप समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 12-10-2020 में लिये गये निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्यों द्वारा अवगत होने के उपरान्त सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव सं० 3 चालू शैक्षणिक सत्र में छात्रों की बढ़ी हुयी संख्या को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राप्ती छात्रावास के बगल में 8 फिट ऊँची 100 मी० लम्बी चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं उस पर होने वाले सम्भावित रू० 12.00 लाख के व्यय का विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वित्त उप-समिति को अवगत कराया गया कि चालू शैक्षणिक सत्र में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुयी है तथा कोरोना प्रोटोकाल के अनुपालन में नदागन्तुक छात्रों को एकल रूम की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से राप्ती

छात्रावास के बगल में स्थित अनोमा पुरुष छात्रावास एवं राप्ती छात्रावास के बीच 8 फिट उंची 100 मी0 लम्बी चहारदीवरी का निर्माण कराया जाना आवश्यक है जिसमें रू0 12.00 लाख का व्यय अनुमानित है । उक्त चहारदीवरी के निर्माण पर रू0 12.00 लाख का व्यय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से वहन किया जायेगा ।

वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से चहारदीवरी के निर्माण कराये जाने एवं विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से व्यय किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्तावसं0 4

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत **Establishment of Centre for Training, Research and production of Biofertilizer & Biopesticide formulations for the benefit of farmers of eastern U.P.** परियोजना को इस विश्वविद्यालय में कार्यान्वित्त किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत **Establishment of Centre for Training, Research and production of Biofertilizer & Biopesticide formulations for the benefit of farmers of eastern U.P.** परियोजना को कृषि निदेशालय उ0प्र0 द्वारा दिये गये गाइड लाइन के अनुसार विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं05


उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत **Establishment of feed analysis and quality control laboratory** पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत **Establishment of feed analysis and quality control laboratory** परियोजना को दिये गये गाइड लाइन के अनुसार विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की कार्योत्तर संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्तावसं0 6

डा0 धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक कम सह अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय (परिसर) आजमगढ की पूर्व सेवाओं व प्राप्त वेतन के आधार पर छठे वेतन आयोग के अनुरूप मूलवेतन संरक्षित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डा0 धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक कम सह अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय (परिसर) आजमगढ को वेतनबैण्ड रू0 37400-67000 ए0पी0 रू0 10000/-में मूल वेतन नियमानुसार योगदान तिथि 14-9-2020 को संरक्षित करने एवं कार्यभार ग्रहण करने के समय एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने व पूर्व की सेवा को सेवानिवृत्तिक लाभों के प्रयोजनार्थ जोड़े जाने की सैद्धान्तिक संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि उक्त की अनुमति नियमानुसार शासन से प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय ।





प्रस्तावसं० 7

चालू शैक्षणिक सत्र में नवागन्तुक छात्रों को एकल रूम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य परिसर के रिक्त आवासों में छात्रों को अधिवासित करने हेतु 200 नग तखत, 200 नग कुर्सी एवं 200 नग मेज के क्रय पर रु 12.00 लाख के अनुमानित व्यय के विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उप समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि चालू शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालय के नवागन्तुक लगभग 200 छात्रों को कोरोना प्रोटोकाल के अनुपालन में एकल रूम की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। ऐसी स्थिति में मुख्य परिसर के रिक्त आवासों में छात्रों को अधिवासित करने हेतु 200 नग तखत, 200 नग कुर्सी एवं 200 नग मेज का क्रय किया जाना आवश्यक है जिसमें रु 12.00 लाख का व्यय अनुमानित है। उक्त फर्नीचर के क्रय हेतु रु 12.00 लाख का व्यय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतों से प्राप्त आय से वहन किया जायेगा।

वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त फर्नीचरों का क्रय करने एवं विश्वविद्यालय के निजी श्रोतों से प्राप्त आय से व्यय किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्तावसं० 8

विद्वत् परिषद की 282वीं बैठक दिनांक 13.01.2021 के निर्णय सं. 282:1643 के परिपालन में सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा एवं पशुपालन) के एक पद को अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के अधीन कीड़ा एवं खेलकूद अनुभाग में सहायक प्राध्यापक, गेम्स एवं स्पोर्ट्स के पद नाम से समान वेतनमान में परिवर्तित अर्हता निर्धारित कर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत खेलकूद गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से विभिन्न खेलकूद कार्यक्रमों / प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता के आयोजन के निमित्त विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक/परास्नातक छात्र छात्राओं के शिक्षण / प्रशिक्षण हेतु कोई पद सृजित नहीं है। विद्वत् परिषद की 282वीं बैठक दिनांक 13.01.2021 के निर्णय सं. 282:1643 के निर्णय के परिपालन में सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा एवं पशुपालन) के एक पद को अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के अधीन कीड़ा एवं खेलकूद अनुभाग में सहायक प्राध्यापक, गेम्स एवं स्पोर्ट्स के पद नाम से समान वेतनमान में परिवर्तित अर्हता निर्धारित कर स्थानान्तरित किया जाना है।

वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उर्पयुक्त निर्णय के क्रम में पद परिवर्तन/स्थानान्तरण एवं अर्हता निर्धारण किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी



प्रस्तावसं० 9

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित महामाया कृषि अभियन्त्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर के गोदावरी छात्रावास एवं कावेरी छात्रावास के शौचालय का अनुरक्षण कराये जाने एवं उस पर होने वाले सम्भावित रू 10.00 लाख के व्यय को विश्वविद्यालय स्रोत से वहन किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उप समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित महामाया कृषि अभियन्त्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर के गोदावरी छात्रावास एवं कावेरी छात्रावास के शौचालय का अनुरक्षण का कार्य कराया जाना आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में इन छात्रावासों के शौचालय की स्थिति काफी खराब है एवं प्रयोग में लाये जाने योग्य नहीं रह गये हैं। उक्त दोनों छात्रावासों के शौचालय के अनुरक्षण में रू 10.00 लाख का व्यय सम्भावित है। उक्त अनुरक्षण पर होने वाला व्यय रू 10.00 लाख का वहन विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों से प्राप्त आय से किया जायेगा।

वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से शौचालय का अनुरक्षण कराये जाने एवं उस पर होने वाले व्यय को विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों से प्राप्त आय से किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्तावसं० 10

विद्वत् परिषद की 282 वीं बैठक के मद सं. 282:1642 एवं 283 वीं की बैठक के मद संख्या 283:1645 के निर्णय के क्रम में कृषि व्यवसाय प्रबन्धन विभाग (Department of Agri Business Management) की स्थापना पदों हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारण तथा शिक्षण सत्र 2021-22 से 40 सीटों के साथ MBA in Agri Business पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विद्वत् परिषद की 282 वीं बैठक के मद सं. 282:1642 एवं 283 वीं की बैठक के मद संख्या 283:1645 के निर्णय के क्रम में कृषि महाविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या में माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित 05 पदों "प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, टी०ए० /सहायक प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक हिन्दी एवं सहायक प्राध्यापक" को स्थानान्तरित करते हुए कृषि महाविद्यालय में कृषि व्यवसाय प्रबन्धन विभाग (Department of Agri Business Management) की स्थापना हेतु सहमति प्रदान करते हुए उन पदों हेतु न्यूनतम अर्हता की संस्तुति प्रदान कर दी गयी है तथा शिक्षण सत्र 2021-22 से 40 सीटों के साथ MBA in Agri Business पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने की सहमति भी प्रदान कर दी गयी है।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उर्पयुक्त के आलोक में कृषि महाविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या में Agri Business Management विभाग को खोलते हुए MBA in Agri Business पाठ्यक्रम



के उपाधि हेतु शिक्षण सत्र 2021-22 में शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने एवं कृषि महाविद्यालय(College of Agriculture) के पाँच पदों का स्थानान्तरण करते हुए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

**प्रस्ताव सं० 11** प्रसार निदेशालय के एटिक रिवाल्विंग फण्ड हेतु पारित बजट का संशोधित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र आजमगढ़ द्वितीय हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भूमि प्राप्त कर ली गयी है जिसके प्रक्षेत्र पर बुवाई का कार्य सम्पादित हो रहा है । उक्त केन्द्र के पास रिवाल्विंग फण्ड संचालित नहीं है । उक्त केन्द्र को सुगमतापूर्वक चलाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रसार निदेशालय के एटिक रिवाल्विंग फण्ड हेतु विभिन्न मदों में पारित बजट ₹0 1045000/- को संशोधित करते हुए पुनरीक्षित अनुमान ₹0 1075000/- किया जाना आवश्यक है ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रसार निदेशालय के एटिक रिवाल्विंग फण्ड हेतु विभिन्न मदों में पारित कुल बजट ₹0 1045000/- का संशोधित करते हुए पुनरीक्षित अनुमान ₹0 1075000/- किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

**प्रस्ताव सं० 12** भारत सरकार के वित्त पोषण से जनपद जौनपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र बक्शा, जौनपुर में कार्यरत श्रीमती अल्काराव, कनिष्ठ लिपिक एवं श्रीबरखू राम, चौकीदार, प्रसार निदेशालय का माह जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक (हडताल अवधि) का वेतन भुगतान विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से जनपद जौनपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र बक्शा, जौनपुर में कार्यरत श्रीमती अल्काराव, कनिष्ठलिपिक एवं श्री बरखू राम, चौकीदार, प्रसार निदेशालय का माह जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक (हडताल अवधि) का वेतन भुगतान किये जाने हेतु यह प्रस्ताव किया गया कि ऐसे ही अन्य कर्मियों को किये गये भुगतान के अनुसार विश्वविद्यालय अपने स्तर से एक समिति बनाकर समिति की रिपोर्ट सहित प्रस्ताव वित्त उपसमिति की आगामी बैठक में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय ।

**प्रस्ताव सं० 13** एन०एच० 330ए- जगदीशपुर-फैजाबाद मार्ग पर विश्वविद्यालय की ग्राम डोभियारा जनपद सुल्तानपुर में गाटा सं० 126 की स्थित भूमि में से 20 बीघा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करा रही पी०एन०सी० इन्फ्राटेक लि० को 03 वर्ष के लिए किराए पर दिये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि पी०एन०सी० इन्फ्राटेक लि० ने अपने पत्र दिनांक 4-1-2021 द्वारा एन०एच० 330ए जगदीशपुर- फैजाबाद मार्ग पर विश्वविद्यालय की ग्राम डोभियारा जनपद सुल्तानपुर में गाटा सं० 126 की स्थित भूमि में से 20 बीघा भूमि किराये पर लिये जाने का अनुरोध किया है जिसके अनुसार ₹0 8000/- प्रति बीघा प्रतिवर्ष की दर से ₹0 160000/- प्रति वर्ष पर 03 वर्ष

हेतु दिये जाने पर विश्वविद्यालय को कुल रू 480000/- की आय होगी । विश्वविद्यालय की उक्त भूमि बंजर अवस्था में है एवं इस पर कृषि से संबंधित कोई कार्य विगत कई वर्षों से विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित नहीं किया जा रहा है ।

उपर्युक्त के दृष्टिगत वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारान्तरण सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की ग्राम डोभियारा जनपद सुल्तानपुर में गाटा सं० 126 की स्थित भूमि में से 20 बीघा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करा रही पी०एन०सी० इन्फ्राटेक लि० को 03 वर्ष के लिए रू० 160000/- प्रतिवर्ष की दर से किराये पर दिये जाने की सैद्धान्तिक सहमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त भूमि को किराये पर देने की अनुमति प्राप्त करने हेतु पूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय तथा शासन से अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

(नीरज श्रीवास्तव)  
वित्तनियंत्रक/सचिव  
वित्त उप समिति

(डा० बिजेन्द्र सिंह)  
कुलपति/अध्यक्ष  
वित्त उप समिति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक एन०डी०यू०ए०टी०/8/वि०उ०स०/लेखा/2021/1217 दिनांक 10-02-2021  
प्रतिलिपि-प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(नीरज श्रीवास्तव)  
वित्तनियंत्रक/सचिव  
वित्त उप समिति